कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ 3/82/2017/10 11/12/3643 भोपाल, दिनांक 27/10/2020

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रति,

श्री ब्रजेन्द्र स्वरूप,
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला दमोह के अंतर्गत सतधारू सिंचाई तालाब निर्माण हेतु 789.93 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, इदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-63/2017-FC दिनांक 28.09.2020

––0––

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से यह लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा चाहे गये 160 हेक्टेयर गैर वनभूमि का आपके भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर निम्नलिखित अनुशंसा की गई है :–

1-. "The 84.00 ha. land (adjoining the Compartment no. 16. Range: Hartta. Damoh Forest Division) is suitable for CA plantation out of 160 ha and the State Govt. needs to submit a fresh 76.00 ha non-forest land.

2- After obtaining 76.00 ha. new non-forest land suitable for CA along with all necessary & required documents (maps, site suitability and CA scheme as per Para 2.8(iii) of FCA Handbook 2019) it is recommended."

In view of the above, the State Government is requested to furnish details of 76.00 ha. of new non-forest land suitable for Compensatory Afforestation (CA) along with all necessary & required documents (maps, site suitability and CA scheme as per Para 2.8(iii) of FCA Handbook 2019) for further necessary action.

आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के पालन में आवेदक संस्था द्वारा दमोह जिले में ग्राम लखनाखेड़ी में खसरा नं. 1 में 58 हेक्टेयर, ग्राम इमलिया नायक में खसरा क्रमांक 1 में 8 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 408/1 में 10 हेक्टेयर गैर वनभूमि जिला कलेक्टर, दमोह के आदेश दिनांक 23.10.2020 से उपलब्ध कराई गई है।

इस प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, दमोह द्वारा आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई 76 हेक्टेयर गैर वनभूमि में 76,000 पौधें लगाने की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना रू. 2,49,48,372/– की तैयार की गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तथा तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है।

आवेदक संस्था द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई 160 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 24 हेक्टेयर भूमि में मध्यम घना वन है। इस 24 हेक्टेयर मध्यम घने वन के विरूद्ध 24,000 पौधें बिगड़े वनों में लगाये जाने हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ. 188 में रकबा 24 हेक्टेयर का चयन किया गया है। इस बिगड़े वन में 24 हेक्टेयर रकबे में 24,000 पौधें लगाने की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना रू. 97,64,385/– तथा तकनीकी स्वीकृति संलग्न है।

इन तीनों स्थलों का निरीक्षण मेरे द्वारा आवेदक संस्था तथा वनमण्डलाधिकारी, दमोह के साथ किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा वर्तमान में उपलब्ध कराई गई 76 हेक्टेयर गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

प्रस्ताव में वस्तुस्थिति अनुसार वनीकरण करने की राशि अब निम्नानुसार होती है :–

क्र.	पूर्व की योजनाओं के अनुसार राशि				वर्तमान योजनाओं के अनुसार राशि			
	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा	राशि	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा	राशि
1	शहजादपुरा	3	22.20	10909215	शहजादपुरा	3	22.20	10909215
		7	36.70	14290155		7	36.70	14290155
		15	100.00	32409450		15	100.00	32409450
		15	100.00	32409450		15	100.00	32409450
		15	64.00	24759950		15	64.00	24759950
2	चौपरा मडियादो	123	44.30	17644365	चौपरा मडियादो	123	44.30	17644365
3	गीदन	02	20.00	4362170	गीदन	02	20.00	4362170
		182	12.90	4606830		182	12.90	4606830
4	घूघस	1	82.20	29258415	घूघस	1	82.20	29258415
		16	10.20	5021865		16	10.20	5021865
5	सगोनी	36/27क	47.80	18674550	सगोनी	36/27क	47.80	18674550
		36/27क	92.70	32695380		36/27क	92.70	32695380
6	शहजादपुरा	3	160.00 (182.00 में से)	58576160	शहजादपुरा	3	84.00	23601288
					ग्राम लखनाखेड़ी,	1	58.00	24948372
					ग्राम इमलिया नायक	1	8.00	
						408/1	10.00	
					परिक्षेत्र तेन्दुखेड़ा	आर.एफ. 188	24.00	9764385
		योग–	793.00	285617955			817.00	285355840

इस प्रकार क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था से राशि रू. 28,53,55,840/- प्राप्त की जाना है, जिसके विरूद्ध आवेदक से रू. 28,56,17,960/- जमा करवाई गई है। अतः क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम लखनाखेड़ी एवं ग्राम इमलिया नायक में चयनित 76.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि की KML फाईल संलग्न है।

प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई समस्त जानकारियों की पूर्ति हो गई है। प्रस्ताव में औपचारिक अनुमोदन जारी किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

27/10/2020

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ—3/82/2017/10—11/12/3644 भोपाल, दिनांक 27/10/2020

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई—5, लिंक रोड़ नं. 3 रविशंकर नगर भोपाल—462016
2. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसीनगर (1250) भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
4. वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल दमोह, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह, जिला दमोह, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

27/10/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल